भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4832

दिनांक 01.04.2022 को उत्तर देने के लिए

दक्षिण चीन सागर होकर भारतीय व्यापार

4832. श्री सदाशिव किसान लोखंडे:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 50% से भी ज्यादा भारत का व्यापार दक्षिण चीन सागर होकर किया जाता है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अन्तर्राष्ट्रीय माध्यस्थ न्यायालय के निर्णय तथा बाद में दक्षिण चीन सागर पर चीन के दृष्टिकोण को देखते हुए सरकार द्वारा कोई आकलन किया गया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जहाजों के नौवहन, उड़ानों का संचालन तथा दक्षिण चीन सागर के माध्यम से मुक्त तथा आसान आवागमन को सरकार किस प्रकार सुनिश्चित करेगी;

(घ) क्या भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय बैठक के संबंध में कोई विचार-विमर्श किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

(डॉ. राजकुमार रंजन सिंह)

(क) से (ङ) दक्षिण चीन सागर एक प्रमुख जलमार्ग है और इस क्षेत्र में समुद्री मार्गों के माध्यम से 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का व्यापार किया जाता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, भारत का लगभग 55% से अधिक का व्यापार दक्षिण चीन सागर और मलक्का स्ट्रेट के माध्यम से किया जाता है।

फिलीपीन्स गणराज्य द्वारा जनवादी गणराज्य चीन के विरुद्ध शुरू की गई मध्यस्था की कार्रवाई में समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के अनुबंध-VII के तहत गठित न्यायाधिकरण ने 12 जुलाई 2016 को अपना निर्णय दिया था जिसमें दक्षिण चीन सागर में समुद्री पात्रता से संबंधित मुद्दों को स्पष्ट किया गया था।

भारत, यूएनसीएलओएस में स्पष्ट रूप से किए गए उल्लेख के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों के आधार पर नौवहन और हवाई क्षेत्र के उपयोग की स्वतंत्रता तथा निर्बाध वाणिज्य का समर्थन करता है। यूएनसीएलओएस के एक राष्ट्रीय पक्षकार होने के नाते, भारत ने सभी पक्षकारों से यूएनसीएलओएस का सम्मान प्रदर्शित करने का आग्रह किया है, जो समुद्रों और महासागरों के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून व्यवस्था स्थापित करता है।

***